लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 023
दूरभाष– 0755–2600115

वेबसाइट www.shiksha.samagra.gov.in E-mail sscholarship.dpi@gmail.com

क/समग्र/आह.वि/02/2017–18 /335 भोपाल दिनांक 22/6/2018

प्रति,

समस्त,

संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.

विषयः–समेकित छात्रवृत्ति–योजना अंतर्गत सत्र 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु विद्यार्थियों के बैंक खातों के सत्यापन विषयक।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क/समग्र/आह.वि/02/2017–18/295 दिनांक 17.05.18

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्ष 2017–18 में छात्रवृत्ति वितरण वन–क्लिक के माध्यम से किया गया। उक्त व्यवस्था अंतर्गत संस्था प्रमुख/संकुल प्राचार्य/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समग्र शिक्षा पोर्टल पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर छात्रवृत्ति की राशि, वितरण कार्य नोडल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में अंतरित की गई। खाते सत्यापन के निर्देश दिए जाने के उपरांत भी विद्यार्थियों के खाते त्रुटिपूर्ण/निष्क्रिय/विसंगतिपूर्ण होने के कारण सत्र 2017–18 मे स्वीकृत समस्त छात्रवृत्तियों की राशि विद्यार्थियों के खाते में अंतरित नही की जा सकी।

वर्ष 2017–18 में छात्रवृत्ति हेतु शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण किए जाने हेतु संचालनालय के संदर्भित पत्र, द्वारा सबंधित विद्यार्थियों को सही/नवीन बैंक खातों की प्रविष्टि पोर्टल पर दिनांक 25.05.18 तक अनिवार्य रूप से करवाए जाने एवं समय–समय पर आयोजित वीडियों कॉफेन्सिंग एवं बैठकों में भी विद्यार्थियों के खाते में संशोधन/सही बैंक खाते तत्काल प्रविष्टि करवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। खेद का विषय है कि बार–बार निर्देश दिए जाने के उपरान्त भी अद्यतन केवल 1.86 लाख विद्यार्थियों के बैंक खाते सत्यापित किए गए है।

अतः अपने संभाग अंतर्गत जिलों में वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान हेतु विधार्थियों के खाते में संशोधन/सही बैंक खाते की प्रविष्टि दिनांक 24.06.18 के पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित कर रिपोर्ट संचालनालय के ई–मेल पते पर प्रेषित किया जाना सुनिशचित करें। खाते में संशोधन/सही बैंक खाते की प्रविष्टि की समीक्षा दिनांक 25.06.18 को आयोजित की जाने वाली वीडियो कॉफेन्सिंग में की जाएगी।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

क्रमांक/समग्र/आह.वि/02/2018/336 भोपाल दिनांक 22/6/18

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्रवाई समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.